न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/52/2025 रजू दिनांक: 05.05.2025 रजि0 न0 2025/91

अपीलार्थी:–

श्री जुबेर खान पुत्र श्री निजर खान, निवासी सुहेटा, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा 301404 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 13.05.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 18.02.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.05.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक जिरअ/आरटीआई/2025/1893 दिनांक 09.05.2025 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन संख्या 277654882593518 दिनांक 18.02.2025 के माध्यम से उचित मूल्य दुकान सुहेटा, ग्राम पंचायत जिन्दोली, पं0स0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से संबंधित सूचना चाही गई है जो कि जिला रसद अधिकारी, खैरथल–तिजारा के नियंत्रणाधीन होने के कारण वांछित सूचना के संबंध में जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा से संपर्क स्थापित करने अथवा उनके कार्यालय में पृथक सूचना आवेदन प्रस्तुत किए जाने बाबत, ऑनलाईन पोर्टल पर पत्र संख्या 6738765638 दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में पत्र संख्या 6738765638 दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक 1894–95 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अलवर (राज0) ★

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राज0)
(राजस्थान)